न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/52/2025
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2025/231

अपीलार्थी :–
श्री रामस्वरूप मीना पुत्र श्री बहादुर मीना
निवासी–ग्राम खोह दरीबा,
तहसील टहला, जिला अलवर।

बनाम

प्रत्यर्थी :–
राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ

प्रवेश तिथि :: 28.10.2025

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 25.11.2025

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 14.10.2025 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
4. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस क्रमांक 599 दिनांक 28.10.2025 जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु वांछित सूचना के संबंध में पत्रांकः 1241 दिनांक 25.11.2025 के द्वारा, जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
5. प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया। प्रत्यर्थी से प्राप्त जबाब के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में पूर्व में सूचना हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक 1242 दिनांक 25.11.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित भी कर दिया है यदि अपीलार्थी किसी प्रकार की सूचना चाहता है तो विधिवत शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है।
6. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
7. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. आज दिनांकः 25.11.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

अति0 जिला कलक्टर
(द्वितीय)अलवर (राज.)